

19/12/22

बिनायक कलेक्टर, गुडामालान

पत्रावली काठ पेस डुई/ डोने  
पको के वरील उपस्थिता पत्रावली  
वाले काठेस शिकारी सं. ११ मी  
केर. के उल्लेख शिकारी पत्र वास्ते  
एकेर करी काठेस कलमनी काठेस  
३२ दिनांक प. ८८८ संकेत शिकारी. ड. ३१  
उल्लेख शिकारी पत्र ०९ १-०५ ८८८  
पेस डुई डोने पको के डिडान  
शिकारी क गणे मी वरु पर मरु

पुनी

बिनायक कलेक्टर, गुडामालान



के बाद तब तक रखकर 30 दिनों  
 के भीतर कागजों का वापस कर दिया  
 25/11/2016 को प्रकाशना 10) अति  
 हाजीर व तब प्रैरवी के रखा  
 किया गया। उक्त उक्त उक्त उक्त  
 कागजों द्वारा दिनांक 19/12/2011 को  
 न्यायालय के जवाब कर दिया  
 25/11/2016 तक उक्त उक्त उक्त  
 सभी तलबी की प्रैरवी करवाई  
 गई थी, इसलिए उक्त उक्त  
 उक्त उक्त उक्त उक्त 3, 4, 5, 6, 7  
 द्वारा कागजों के वापस कर  
 रखवाली जवाब कर का 3022  
 कलेक्टर द्वारा यह रखवाली  
 की कि कागजों के साथ उक्त उक्त  
 का भी रखवाली कर दिया जाये  
 केवल उक्त उक्त द्वारा कागजों के  
 वापस कर के स्वीकार किया गया  
 था। परन्तु दिनांक 25/11/2016  
 को कागजों व उक्त उक्त उक्त  
 कागजों व उक्त उक्त उक्त  
 के हाजिर नहीं। तब पर उक्त  
 वापस कर प्रकाशना की अति हाजीर  
 व तब प्रैरवी के रखा किया

पुस्तक



नम्बर व तारीख  
जो इस हुक्म  
में जारी

जाता है किने तीन वर्षों के  
बाद प्रिवी काउंसिल द्वारा उच्चतम  
दस्तावेज जारी कर 09R-04  
CPC का यह उद्देश्य करना है  
कि प्रिवी काउंसिल का काउन्सिल कलेज  
होने हुए भी वास पर खरीद किया  
है किने हुए सुनवाई में लिया  
जावे।

उपरोक्त विवेक से  
न्यायालय से वही पर पहुँचा है  
कि प्रिवी काउंसिल द्वारा वास पर  
डिपेंडेंसी 25/11/2016 को खरीद  
है किने के तीन वर्षों परमान  
आगत 9/12/2019 को उच्चतम  
वास पर प्रिवी काउंसिल के काउन्सिल कलेज  
के कारण हुए सुनवाई में लिया जाना  
निश्चित किया जावे। यदि प्रिवी काउंसिल  
द्वारा उनके काउन्सिल कलेज द्वारा  
वासी का वास पर को लीगा किया  
जावे केवल मात्र काउन्सिल कलेज के  
यह उद्देश्य मात्र गये है कि प्रिवी काउंसिल  
के वास पर के लाख-लाख प्रिवी काउंसिल  
का भी किया किया जावे। यह  
प्रिवी काउंसिल द्वारा  
उच्चतम कर निश्चित कर दिया

सहायक कलेक्टर, गुडामालाजी

